संख्या–115 / XXIV(8) / 2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 10 मार्च,2005

विषयः– **तत्कालीन रूड़की विश्वविद्यालय के कार्मिकों के जी.पी.एफ. की धनराशि एवं उस पर देय अद्यतन ब्याज के भुगतान विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 266 / प्रा0शि0 / 2004 दिनांक 29.11.2004 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा तत्कालीन रूड़की विश्वविद्यालय के कार्मिकों के जी.पी.एफ. की धनराशि एवं उस पर देय अद्यतन ब्याज भुगतान हेतु रू0 7,98,31,237 / – (रूपये सात करोड़ अठ्ठानब्बे लाख इकतीस हजार दो सौ सैंतीस मात्र) की स्वीकृति की गई है, परन्तु निर्गत शासनादेश में **अनुदान संख्या–07** का उल्लेख न होने के फलस्वरूप स्वीकृत धनराशि का भुगतान संभव न होने के परिणामस्वरूप शासनादेश दिनांक 29.11.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए अनुदान संख्या–07 – लेखाशीर्षक –2049–ब्याज अदायगी आयोजनेत्तर–60– अन्य दायित्वों पर ब्याज 101–जमाओं पर ब्याज, 03– कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी.एल. ए. में अवशेष)– 32– ब्याज / लांभाश से आहरित की जाएगी। उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से रखी जाती है कि कृपया अपने डी.डी.ओ. कोड से बिल में प्रतिहस्ताक्षरित कर आहरित करना सुनिश्चित करें।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 29.11.2004 केवल इसी सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–420 / वि0 अनु0–4 / 2005 दिनांक 9–3–2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. महालेखाकार उत्तरांचल देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल।
3. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तरांचल।
4. कुल सचिव, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की, हरिद्वार।
5. उप जिलाधिकारी रूड़की, हरिद्वार।
6. कोषाधिकारी रूड़की, हरिद्वार को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का आहरण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
7. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

C:\Documents and Settings\nrg\My Documents\SECTION TECHNICAL 2004-05.doc29